

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 119/2026

Laxmikant Sharma S/o Shri Teekam Chand,

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Babu Lal Nasuna with
Mr. Aman Pareek

For Respondent(s) : Mr. Amit Kumar Gupta Add. G.A. cum PP,

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

(Through Vc)

Order

20/04/2026

वर्ष 2020 में थाना फागी में अनन्य रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह अवगत कराया पर एक नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है, याचिका को निस्तारित किया गया था। चार वर्ष इस न्यायालय के आदेश पारित किए व्यतीत हो चुके हैं तथा कुल छह वर्ष हो चुके हैं। ऐसे मामले में अभी तक अनुसंधान का नतीजा संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह अंत्यत क्षोभ कारित किए जाने वाला तथ्य है। यदि चार वर्ष पश्चात् भी निष्कर्षित अनुसंधान की रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो इससे अधिक अकर्मण्यता एवं उदासीनता किसी थाने के भार साधक अधिकारी की नहीं हो सकती है। इस न्यायालय का मत है कि इस संबंध में जिम्मेदार समस्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक वृत्त जयपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस प्रकरण का संज्ञान लेकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे तथा कार्यवाही के निष्कर्ष से इस

न्यायालय को अवगत करवाये। प्रकरण पुनः इस विशेष गठित पीठ के समक्ष दो सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे। कोई कार्यवाही नहीं करने तथा इस मध्य अनुसंधान का नतीजा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस महानिरीक्षक व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(FARJAND ALI),J